भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 631

जिसका उत्तर 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

29 कार्तिक, 1941 (शक)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति

631. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी :
श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई, 2019) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक संकुल के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त नीति के अंतर्गत कोई संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और **(ख)** : सरकार ने दिनांक 25.2.2019 को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए भारत को एक वैश्विक हब के तौर पर स्थापित करने और उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) को अधिसूचित किया है। ईएसडीएम के लिए भारत को वैश्विक हब के तौर पर स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ग) और **(घ)** : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 के अनुच्छेद 6 में का लक्ष्य निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के प्रोत्साहन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। अब तक आंध्र प्रदेश राज्य में कथित नीति के तहत किसी भी संस्थान की स्थापना करना प्रस्तावित नहीं है।

******

अनुबंध

ईएसडीएम के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थान देने के लिए एनपीई 2019 के तहत उठाये गए कदम

1. कॉर्पोरेट आयकर में कमी

घरेलू कंपनियाँ अब 22% (अधिभार और उपकर सहित 25.17%) की दर से रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं, बशर्ते कि ऐसी कंपनी ने किसी भी आयकर प्रोत्साहन या छूट का दावा नहीं किया है। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी । इसके अलावा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विनिर्माण और बढ़ावा देने के लिए नए निवेशों को आकर्षित करने के लिए, नया प्रावधान किया गया है, जो 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद शामिल किए गए नई घरेलू कंपनियों को, विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश करके, और 31 मार्च, 2023 से पहले परिचालन शुरू करके, 15 प्रतिशत (अधिभार और उपकर सहित 17.16%) पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान करने का विकल्प की अनुमति देता है। ऐसी कंपनी आयकर अधिनियम के तहत किसी अन्य आयकर छूट/प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठा सकती है। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी ।

छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए एमएटी दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है ।

2. वि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामानों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) की छूट

केंद्रीय बजट 2019-20 में, उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), सेलुलर मोबाइल फोन के चार्जर, प्रदर्शन पैनल, आदि, के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पूंजीगत सामान [अध्याय 82, 84, 85 और 90 के तहत आने वाले] पर बीसीडी की छूट दी गई है।

3. टीवी पैनलों के विनिर्माण के लिए ओपन सेल पर बीसीडी का छुट

टीवी पैनलों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए , उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल (15.6 "और इससे अधिक) पर अधिरोपित बीसीडी दिनांक 17.09.2019 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2019 के जरिये सितंबर 2019 तक 5% से घटाकर नील कर दिया गया है। इसके अलावा, बीसीडी को ओपन सेल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इनपुट पर छूट दी गई है:

- चिप ऑन फिल्म
- मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)
- सेल (ग्लास बोर्ड/सब्सट्रेट)

4. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा विभिन्न देशों में भारतीय और विदेशी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, हाल हीं , सचिव, एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और टेट्रानिक्स 2019 में भागीदारी के लिए अक्टूबर 15-18, 2019 के दौरान ताइवान में सरकार-उद्योग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया । सचिव के यात्रा के दौरान, एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों, *अर्थात्* सार्कोम, फॉक्सलिंक, फॉक्सकॉन, नान्य प्लास्टिक, निष्क्रिय सिस्टम एलायंस, विस्ट्रान और ट्राईपोड के साथ एक-एक बैठकें की।

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रमुख नेताओं के साथ दिनांक 16.09.2019 को एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य उद्योग द्वारा सामना की जाने वाले महत्वपूर्ण चुनौतियों, अवसरों और सरकार से उद्योग के अपेक्षाओं की पहचान करना था। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की विभिन्न आयामों की कंपनियों जैसे मोबाइल हैंडसेट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक घटक, दूरसंचार और एलईडी लाइटिंग ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

*****